


FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....नारायण लाल..... बनाम देवी लाल.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 252/2024

| तारीख हुक्म     | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  |
|-----------------|---|
| <u>27/05/24</u> | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>नारायण लाल</u><br/>पिता श्री <u>नारायण जी मांकी</u><br/>निवासी- <u>घरियावली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिमुड</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>350, 50</u><br/><u>0.48 0.66</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>1.1400</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिमुड (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>350, 50</u><br/><u>0.48 0.66</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>1.1400</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000-00</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार रूपा</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><br/>(बीनू देवल)<br/>सहायक कमलक्टर एवं<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |